

न्यायालय राजस्व मण्डल, म०प्र० ग्वालियर

समक्ष : श्री एम०के०सिंह

सदस्य

- (1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1167-दो/2010 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-7-10 -पारित द्वारा - अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 10/2009-10 निगरानी
- (2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 4287-दो/2016 विरुद्ध आदेश दिनांक 22-7-2.010- पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 1/2009-10 निगरानी

(1) निगरानी प्रकरण क्रमांक 1167-दो/2010 के पक्षकार
अल्लानूर मृतक वारिस

1- अहमद 2- बाबू खाँ 3- बाजिद अली ।

4- शहीद चारों पुत्रगण अल्लानूर

5- खातून 6- फरीदा 7- नसीर

तीनों पुत्रियाँ अल्लानूर

सभी निवासी कस्बा बालापुर तहसील

व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

---आवेदकगण

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन

2- श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम
निवासी मेन बाजार श्योपुर

3- मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल
निवासी बड़ोदा रोड श्योपुर

---अनावेदकगण

(2) निगरानी प्रकरण क्रमांक 4287-दो/2016

1- श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम
निवासी मेन बाजार श्योपुर

2- मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल
निवासी बड़ोदा रोड श्योपुर

---आवेदकगण

विरुद्ध

1- अहमद 2- बाबू खाँ 3- बाजिद अली

4- शहीद चारों पुत्रगण अल्लानूर

5- खातून 6- फरीदा 7- नसीर

तीनों पुत्रियाँ अल्लानूर सभी निवासी

कस्बा बालापुर तहसील व जिला श्योपुर मध्य प्रदेश

8- मध्य प्रदेश शासन

---अनावेदकगण

P
/ka

M

निगरानी प्र0क0 1167-दो/2010 के अभिभाषक
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक क. 2,3 के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(शासन के पैनल लायर)
निगरानी प्र0क0 4287-दो/2016 के अभिभाषक
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री आर.एस.सेंगर)
(शासन के पैनल लायर)

आ दे श

(आज दिनांक 6-2-2017 को पारित)

यह दो निगरानी अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के प्रकरण क्रमांक 10/2009-10 निगरानी में पारित आदेश दि. 22-7-10 एवं प्रकरण क्रमांक 1/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-7-10 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। दोनों निगरानी प्रकरणों से संलिप्त भूमियाँ एवं पक्षकार समान होने से एकसाथ निराकरण किया जा रहा है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान निवासी कस्बा श्योपुर कलों (बालापुра) ने अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 57 आवेदन देकर बताया कि ग्राम श्योपुर कलों की भूमि सर्वे क्रमांक 1690 रकबा 14 विसवा तथा 1691 रकबा 2 वीघा 5 विसवा कुल कित्ता दो कुल रकबा 2 वीघा 19 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) पर वह पिछले 30 - 40 साल से खेती करते आ रहा है इस भूमि का उसे तत्का. जमींदार ने पट्टा दिया था, किन्तु भूलवश पट्टवारी कागजात में अमल नहीं हुआ इसलिये मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अमल कराया जावे। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 4/1988-89 अ-1 दर्ज किया तथा जाँच एवं सुनवाई कर



आदेश दिनांक 15-5-89 पारित किया एवं वादग्रस्त भूमि आवेदक अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान के नाम दर्ज करने के आदेश दिये। शासकीय अभिलेख में अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान का नाम दर्ज होने के उपरांत उसके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से वादग्रस्त भूमि हिम्मत सिंह जाट निवासी वगडुआ को विक्रय कर दी। हिम्मत सिंह ने पंजीकृत विक्रय दिनांक 24-2-94 से वादग्रस्त भूमि रामकिशन को विक्रय कर दी। रामकृष्ण की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर कपूरी वाई का नामान्तरण हुआ और महिला कपूरीवाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 से श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम को एवं मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल को विक्रय कर दी। तदनुसार भूमि पर केतागण का नामान्तरण हुआ।

कलेक्टर श्योपुर ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 4/1988-89 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 15-5-89 के विरुद्ध वर्ष 2001-02 में स्वमेव निगरानी पंजीबद्ध की तथा आदेश दिनांक 8-10-2009 पारित करके अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 15-5-1989 निरस्त कर दिया एवं वादग्रस्त भूमि शासन के नाम दर्ज करने का आदेश दिया। इस आदेश के विरुद्ध निगरानी प्रकरण क्रमांक 1167-दो/2010 के आवेदकगण (मृतक अल्लानूर के वारिसान) ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 10/2009-10 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 22-7-10 से निरस्त की गई। निगरानी प्रकरण क्रमांक 4287-दो/2016 के आवेदकगण ने अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी क्रमांक 1/2008-09 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 22-7-10 से निरस्त की गई। इन्हीं आदेशों से





दुखी होकर यह दो निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ दोनों निगरानी प्रकरण एक-साथ योजित कर पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ विद्वान अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं निगरानी प्र०क० 1167-दो/2010 के तथ्यों एवं सम्बद्ध अभिलेखों के अवलोकन से पाया गया कि मृतक अल्लानूर के वारिस ने कलेक्टर श्योपुर के आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर यह मांग रखी है कि हिम्मत सिंह ने अल्लानूर से विक्रयपत्र धोखे से संपादित कराया था उनके पिता अल्लानूर ने भूमि कभी विक्रय नहीं की। प्रकरण में मुख्यतः विचार योग्य बिन्दु यह है कि क्या राजस्व न्यायालय में विक्रय पत्र को अमान्य करने अथवा विक्रय पत्र को शून्य घोषित कर भूमि पुनः भूमिस्वामी के नाम दर्ज करने का दावा सुना जा सकता है। राजस्व न्यायालय को किसी भी दस्तावेज को शून्य घोषित करने की शक्तियाँ नहीं हैं जिसके कारण निगरानी प्र०क० 1167-दो/2010 के आवेदकगण की माँग पर विचार करना संभव नहीं है। वादग्रस्त भूमि रिकार्डेड भूमिस्वामी अल्लानूर ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से हिम्मत सिंह जाट को विक्रय की है जिसके कारण निगरानी प्र०क० 1167-दो/2010 के आवेदक 4-6-90 से वादग्रस्त भूमि से असम्बद्ध हो जाने कारण उन्हें अपील/निगरानी करने की पात्रता नहीं है। अतः उनके द्वारा प्रस्तुत निगरानी इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

5/ निगरानी प्रकरण क्रमांक 4287-दो/2016 के अभिभाषक





द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया गया तथा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में तहसीलदार श्योपुर द्वारा तत्समय की जांच के आधार पर प्रस्तुत प्रतिवेदन क्रमांक 534/06-07 बी 121 दिनांक 6-3-07 के तथ्यों एवं अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-1989 में आये विवरण का अवलोकन करने पर स्थिति यह है कि कस्बा श्योपुर के बलदेव पटेल जमींदार ने मृतक अल्लानूर को खेती करने के लिये पट्टा दिया था जो संबत 1993 की जमाबंदी अभिलेखागार के अनुसार खाना नं. 3 एवं 4 में विवादित भूमि का भूमिस्वामी रहा है। संबत 2015 लगायत 2018 में अल्लानूर के नाम की प्रविष्टि एवं खेती करना अभिलेख से तहसीलदार ने प्रमाणित पाया है, जिस पर से अनुविभागीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 15-5-1989 द्वारा अल्लानूर के लिये भूमिस्वामी अधिकार होना पाकर उसका नाम शासकीय अभिलेख में दर्ज करने के आदेश दिये हैं। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 15-5-1989 के विरुद्ध कलेक्टर श्योपुर ने वर्ष 2001-02 में जाकर अर्थात् 11 वर्ष के अन्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज की है। रणवीर सिंह तथा एक अन्य विरुद्ध म0प्र0 राज्य 2010 रा0नि0 409 में माननीय उच्च न्यायालय की युगल पीठ का न्याय दृष्टांत है कि 180 दिवस से अधिक अवधि वाद पुनरीक्षण करना अवधि-वाधित है। इस प्रकार कलेक्टर श्योपुर ने 11 वर्ष के अन्तर से स्वमेव निगरानी दर्ज कर आवेदकगण के हित के विपरीत निर्णय लेने में त्रुटि की है एवं इस पर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना ने आदेश दिनांक 22-7-10 पारित करते समय गौर न करने की भूल की है जिसके कारण कलेक्टर का आदेश दिनांक 8-10-09 तथा अपर आयुक्त का आदेश दिनांक





22-7-10 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ प्रकरण के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अल्लानूर पुत्र रहीम जाति मुसलमान भूमिस्वामी ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 से वादग्रस्त भूमि हिम्मत सिंह जाट निवासी वगडुआ को विक्रय की, तदुपरांत इस क्रेता का नामान्तरण हुआ। हिम्मत सिंह ने पंजीकृत विक्रय दिनांक 24-2-94 से वादग्रस्त भूमि रामकिशन को विक्रय कर दी, तदुपरांत इस क्रेता का नामान्तरण हुआ। रामकृष्ण की मृत्यु उपरांत वादग्रस्त भूमि पर कपूरी वाई का नामान्तरण हुआ और महिला कपूरीवाई ने पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 से श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम को एवं मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल को विक्रय कर दी, जिस पर से इन क्रेतागण का नामान्तरण हुआ। तब क्या इतने नामान्तरण आदेशों को अनदेखा करते हुये तथा पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 4-6-1990 , पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24-2-94, पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 23-9-2006 को शून्य मानते हुये वादग्रस्त भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश देने की अधिकारिता कलेक्टर को है। शॉतिवाई विरुद्ध जसरथ धोबी 2005 रा0नि0 45 एवं 1993(2) M.P.W.N. 174 सुप्रीम कोर्ट के न्याय दृष्टांत हैं कि राजस्व न्यायालय रजिस्ट्री विक्रीनामा को संदिग्ध मानकर क्रेता के पक्ष में नामांतरण करने से अस्वीकार करने का अधिकार नहीं रखते हैं, परन्तु विचाराधीन प्रकरण में कलेक्टर श्योपुर ने उक्तानुसार हुये विक्रय पत्रों एवं उन पर से राजस्व अधिकारियों द्वारा किये गये नामान्तरणों को अनदेखा करते हुये वादग्रस्त भूमि आदेश दिनांक 8-10-2009 से शासकीय दर्ज करने के आदेश देने में भूल की है जिसके कारण कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक






18/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-10-2009 एवं अपर आयुक्त, चंबल संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2008-09 निगरानी में आदेश दिनांक 22-7-2010 पारित करते समय उक्त त्रुटियों पर ध्यान न देने की भूल की है जिसके कारण ऐसे त्रुटिपूर्ण आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 1/2008-09 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-7-2010 तथा कलेक्टर श्योपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 18/2001-02 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 8-10-2009 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं। फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण क्रमांक 4/1988-89 अ-1 में पारित आदेश दिनांक 15-5-89 के पुर्नस्थापित होने से वादग्रस्त भूमि के अंतिम क्रेतागण श्रीमती कृष्णा गुप्ता पत्नि दौलतराम एवं मनोज मित्तल पुत्र ओमप्रकाश मित्तल के नाम पूर्ववत् दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।





(एम0के0सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल

मध्य प्रदेश ग्वालियर